न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 06/2021
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2021/84

प्रार्थीगण

1. प्रागाराम पुत्र टिकमाराम।
2. गणेशाराम पुत्र जोरा।
3. छोगाराम पुत्र जोरा।
4. धरोबा पुत्री जोरा जातियान कलबी निवासीगण पथमेड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अमृतराम पुत्र करसनराम।
2. केसाराम पुत्र करसनराम।
3. गजाराम पुत्र करसनराम ।
4. परखाराम पुत्र करसनराम ।
5. रामचन्द्र पुत्र करसनराम जातियान कोली, निवासीगण पथमेडा, तहसील सांचौर, जिला जालौर (राज०)।
6. नरसीराम पुत्र शंकरा जाति गरूडा, निवासी पथमेडा, तहसील सांचौर, जिला जालौर (राज०)।
7. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूथरा ग्रामीण बैंक शाखा सांचौर तहसील सांचौर, जिला जालौर (राज०)
8. सरकार जरिये तहसीलदार, सांचोर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 19.08.2021

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 6,7 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही
3. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की तलवी बंद।
4. अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से [illegible] तहसीलदार [illegible] उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

:– निर्णय :–

दिनांकः– 25.04.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम पथमेड़ा पटवार क्षेत्र नैनोल तहसील सांचौर के निवासीगण है, प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 952 रकबा 2.90 हैक्टर चाही सोयम जाव सोयम, खसरा नम्बर 954 रकबा 3.84 हैक्टर चाही प्रथम जाव प्रथम के आये हुये है जो प्रार्थीगण के बन्ट व कब्जा काश्तसुदा है उक्त खेतो मे प्रार्थीगण के आने–जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि प्रार्थीगण के उपयोग के लिए राजस्व रेकर्ड में नही है। प्रार्थीगण के इस खेत में आवागमन हेतु नये मार्ग की आवश्यकता है। उक्त रास्ता भूमि हेतु मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पा रहा है। उक्त खेत मे आवागमन हेतु रास्ते की प्रार्थीगण को अत्यन्त आवश्यकता है। अतः रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण के उक्त खेत ग्राम पथमेडा में होने से प्रार्थीगण के खेत मे जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा पथमेडा के खसरा नम्बर 960 रकबा 0. 12 हैक्टर चाही सोयम जाव सोयम व खसरा नम्बर 960/1437 रकबा 0.08 हैक्टर चाही सोयम मे से धारा 251ए के प्रावधानो के अनुसार रास्ता दिलाया जावें। ये ही दोनो खेत प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत व रास्ते के बिच में पड़ते है। तथा मौके पर रास्ते के रूप में ही मौजूद है लेकिन उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम से होने से हमेशा हक जताते रहते है। ऐसी सुरत में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 952 व 954 सरहद मौजा पथमेडा मे जाने के लिए ग्राम पथमेडा में स्थित खेत खसरा नम्बर 960, 960/1437 नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित लाल रंग का हिस्सा जो निकटतम व धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनरूप है। जो नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित प्रस्तावित रास्ता लाल रंग का हिस्सा जो निकटतम व धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनरूप है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त मौजा पथमेडा के खेत खसरा नम्बर 960 रकबा 0.12 हैक्टर चाही सोयम जाव सोयम व खसरा नम्बर 960/1437 रकबा 0.08 हैक्टर चाही सोयम रास्ता नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित ए से बी प्रस्तावित रास्ता लाल रंग का हिस्सा दिया जाकर रास्ते की भूमि प्रार्थीगण के समाविष्ट करने वाली इस भूमि के संबंध मे अभिधृति निर्वापित की जाकर रास्ता उपयोग के रूप मे अभिलिखित [illegible] आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज [illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण बाद तामिल उपस्थित नहीं [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा, एवं भू अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.11.2024 का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा संख्या 952 रकबा 2.90 हेक्टर खसरा संख्या 954 रकबा 3.84 हेक्टर में पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है परंतु भू अभिलेख निरक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 3.11.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 952 व 954 हेतु नवीन मार्ग की मांग की गई है प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में गोचर खसरा संख्या 1124 में से चल रही रोड तथा खसरा संख्या 960 रकबा 0.12 हेक्टर सिवायचक से खसरा नंबर 952 रकबा 2.90 हेक्टर खातेदार प्रगाराम टीकाराम प्रार्थी के खेत के सेढ़ा सेढ़ है तथा खसरा संख्या 954 रकबा 3.84 हेक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा संख्या 960 /1437 रकबा 0.08 जो खातेदार नरसी राम पुत्र शंकर के नाम से दर्ज हैं में से आवागमन किया जा रहा है प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 1124 गोचर खसरा संख्या 960 रकबा 0.12 हेक्टर सिवायचक खाता संख्या एक राजस्थान सरकार में से खसरा संख्या 952 तक आवागमन किया जा रहा है तथा खसरा संख्या 954 तथा 952 लगता हुआ है प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है वर्तमान में उक्त रास्ता पर कोई वृक्ष अवस्थित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा पथमेड़ा के खसरा नंबर 960 वह खसरा संख्या 960/1437 में से भू अभिलेख निरीक्षक पांचला द्वारा प्रस्तावित मौका जांच रिपोर्ट अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । भू अभिलेख निरीक्षक पांचला की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार ग्राम पथमेड़ा के खसरा नंबर 960 [illegible] हेक्टेयर व खसरा संख्या 960/1437 रकबा 0.08 हेक्टर भूमि में से र[illegible] अभिधृति निर्वापित करते हुए इसका रकबा और प्रार्थी की खातेदारी भूमि [illegible] सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है खसरा संख्या 960 रकबा 0.12 हेक्टर भूमि अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा पूर्व में रास्ते हेतु राजहक में समर्पित करवा दी गई है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 960/1437 के खातेदार को रास्ता परियोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावे। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आईएएस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक **25.04.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:11:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner